

उनवान

राजस्व लोक अदालत कानून बडवा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. सुभाष चन्द्र मुकुन्द भंवरलाल बडवा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सदान देवी पत्नि भंवरलाल बडवा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (फौत होने से नाम एंटे किया गया)
3. सयाजी प्रताप आत्मज शंकरलाल बडवा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सुभाषचन्द्र बडवा आत्मज शंकरलाल बडवा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. संजय कुमार आत्मज शंकरलाल बडवा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मनोहर देवी पत्नि शंकरलाल बडवा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. काना आत्मज भोपालदान बडवा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. प्रहलाद आत्मज भोपालदान बडवा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. मु० प्रेमकंवर बेवा भोपालदान बडवा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राज० टी० एक्ट

उपस्थित

1-फारूख मोहम्मद-

अधिवक्ता वादी

दिनांक 04.05.2018

निर्णय

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम्प सगरेव में पेश हुई। प्रकरण 1 का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 09 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1971 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 1972 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1976 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 2030 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 2031 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 2032 रकबा 0.07 2033 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 2034 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 2035 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 2036 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 2037 रकबा 0.40 हैक्टेयर, 2042 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 2044 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 2045 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 2046 रकबा 0.24 हैक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 2.84 हैक्टेयर, भूमि खाता संख्या 836 मे कृषि आराजियात का मौके पर कब्जा हिस्सानुसार विभाजन की प्रारंभिक डिक्री जारी की गई हैं मौके पर जो रास्ते है जो एक रास्ता 2 गट्टा चौड़ा व एक रास्ता 1 गट्टा चौड़ा रहेगा बरसाती पानी के आवगमन को कोई पक्ष बंद नहीं करेगा। प्रतिवादी संख्या 01 का उसके पिता शंकरलाल के हिस्से से नाम हटाया जाए तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा, वादी का 1/4, प्रतिवादी संख्या 3, 5, 6 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9 का 1/4 हिस्सा अलग कब्जे अनुसार बटवाडा किया जाए एवं राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था जिसकी पालना में दिनांक 28.12.2017 को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया



विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबंदी से मिलान किया गया जो
होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

ज्ञान सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित वादी एवं
खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है-

क्र.सं.	खुशियों के नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल(है०)
1	सुरेश चन्द्र मु० भंवरलाल बडवा सा देह खातेदार	2030/2	0.035
		2034/1	0.230
		2044	0.040
		2045	0.140
		2046	0.240
		5	0.685
2	घनश्याम पिता कालुदान बडवा सा देह खातेदार	1971	0.280
		1976/2	0.065
		2036/2	0.120
		2037/2	0.220
		4	0.685
3	योग भगवती प्रसाद संजय कुमार पिता शंकरलाल मनोहर देवी पत्नी शंकरलाल बडवा हि.ब.सा देह खातेदार	2030/1	0.135
		2031	0.130
		2032	0.070
		2033	0.050
		2042	0.300
		5	0.685
4	योग काना प्रहलाद पिता भोपालदान, प्रेमकंवर पत्नी भोपालदान बडवा हि. ब. सा देह खातेदार	1972/1	0.095
		1976/1	0.035
		2035	0.240
		2036/1	0.145
		2037/1	0.170
		5	0.685
5	योग सामलाती बदस्तुर	1972/2	0.025
		1976/3	0.010
		2034/2	0.030
		2036/3	0.025
		2037/3	0.010
		5	0.100

अंतिम डिक्री अनुसार भूमि दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम
डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 04.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

राजलक्ष्मी महलोत
सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा